न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 11/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/138

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जेठाराम पुत्र हिमताराम		1 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर
2 हकमाराम पुत्र हिमताराम		2 गंगाराम पुत्र हरीराम
3 नरसीराम पुत्र हिमताराम		3 वगताराम पुत्र चिमाराम
4 बधाराम पुत्र हिमताराम		4 नरसीराम पुत्र हरीराम
5 मोहनराम पुत्र हिमताराम		5 प्रागाराम पुत्र प्रतापा
जातियान–माली, निवासीगण– चौरा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		6 पूराराम पुत्र प्रतापा
		7 मफाराम पत्रु हरीराम
		8 रतनाराम पुत्र प्रतापा
		9 वगताराम पुत्र प्रतापा
		10 हेमाराम पुत्र प्रतापा
		जातियान–माली, निवासीगण–चौरा तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
		11 व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–सांचोर
		12 मांगाराम पुत्र चिमाराम
		जाति–माली, निवासी–करावड़ी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 07.12.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 व 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6, 8 लगायत 12 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] मौजा [illegible] पटवार हल्का चौरा तहसील–सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त का [illegible] 30 के [illegible] खसरा नंबर 09 के दक्षिण दिशा की माठ पर चलता था, जो उतरी पश्चिमी दिशा की माठ पर एवं पुराना खसरा नंबर 09 के दक्षिण दिशा की माठ पर चलता था, जो रास्ता मालियों का गोलिया से चौरा आता है तथा कोच करके भादरूणा गांव को जोड़[illegible] जो आज भी मौके पर उक्त रास्ता हमारे खातेदारों के आम जनता को जोड़ता है तथा आम जनता के उपयोग उपभोग में आता है। उक्त रास्ते के पुराना खसरा नंबर 29 रकबा 09 बिस्वा थे जो पुराना खसरा नंबर हम प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नंबर 30 के नवीन खसरा नंबर 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर का आया हुआ है जो वर्तमान में मौके पर हम प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से बंट की खातेदार उपयोग उपभोग का आया हुआ है तथा मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

हम प्रार्थीगण की रहवासी ढाणिये पक्के कुए वर्षो से कदीमी से स्थित है। जिसका हम प्रार्थीगण उपयोग उपभोग सहज शांतिपूर्ण बिना किसी रोट टोक के करते आ रहे है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान पुराने नक्शे में तरमीमसुदा पुराना खसरा नंबर 30 के उतरी पूर्वी माठ व पुराना खसरा नंबर 09 की दक्षिण माठ पर पुराने नक्शे अनुसार नये नक्शे में द्वितीय सेटलमेंट में रेकर्ड अपडेट करते वक्त तजवीज करना था, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट वालों ने पुराने नक्शे के स्थान से हटकर पुराना खसरा नंबर में स्थित रास्ता तरमीमसुदा भूमि से हटकर नवीन नक्शे में पुराना खसरा नंबर 30 व 09 के नवसृजित खसरा नंबर 346 के बीचों बीच रास्ता दर्ज करना था, जो नहीं कर इस खसरा के एक सेढे भाग से टेडी मेडी आकृति से दर्ज किया गया है, जो एक लिपिकीय भूल एवं विधि विरूद्व रूप से दर्ज किया गया है जबकि नये खसरा नंबर 346 के बीचो बीच कानूनी रूप से दर्ज करना था, जो पुराने नक्शे में दर्ज किश्तवार अनुसार नये नक्शे में किश्तवार रास्ता दर्ज कराना था, जो नहीं कर लिपिकीय भूल से पुराने खसरा नंबर 30 के नवसृजित खसरा नंबर 346 के बीचों बीच से हटकर कर टेडी–मेडी आकृति में दर्ज कर दिया। जबकि पुराने नक्शे में रास्ता भूमि बिल्कुल ही एक सीधी आकृति में दर्ज है उसी अनुसार ही नये नक्शे में पुराना नक्शे के अनुसार सीधी आकृति में दर्ज करना विधिवत रूप से सही था, लेकिन ऐसा नहीं कर लिपिकीय भूल से पुराने नक्शे से हटकर पुराना नक्शे में स्थित रास्ता भूमि स्थान से भिन्न स्थान नए नक्शे में दर्ज कर दिया जबकि नये नक्शे में स्थित रास्ता स्थान भूमि कभी गैर मुमकिन के रूप में नहीं रही, प्रार्थीगण के काश्त उपयोग के रूप मे रही है। उक्त भूमि का उपयोग मौके पर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अर्थात गैर मुमकिन रास्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। मौके पर उक्त भूमि प्रार्थीगण के काश्त के रूप में उपयोग में आ रही है, जो प्रार्थीगण पीढ़ीयों से खेती बाड़ी करते आ रहे है जिससे मौके पर उपयोग में आ रही भूमि व पुराने रेकर्ड में दर्ज किस्म अनुसार वर्तमान रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता जो लिपिकीय त्रुटि से टेडी मेडी आकृति में पुराने नक्शे के स्थान से हटकर किया है, जो सुविधा के लिहाज से समझने के लिए नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में मार्क लाल रंग से वर्णित स्थान अनुसार रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के प्रार्थीगण हकदार होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। नक्शे को प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ पढ़ा जावें। प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम चौरा के पुराना खसरा नंबर 30 से नवसृजित खसरा नंबर 346 में दर्ज रास्ता स्थान लिपिकीय भूल से किया गया है जो संलग्न नक्शे अनुसार एवं पुराने नक्शे में दर्ज रास्ते की भूमि अनुसार सीधी लाईन में टेडी मेडी आकृति के रूप में नए नक्शे में गलत दर्ज किया गया हे, जिसे सीधी लाईन में पुराने नक्शे अनुसार एवं प्रस्तुत नक्शे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती मौके पर उपयोग में आ रहीं उपयोग अनुसार दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चौरा में से नवसृजि[illegible] रेकर्ड अवलोकन अनुसार खसरा संख्या 42 रकबा 0.10 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार [illegible] है जो गत खसरा संख्या 29 रकबा 91/9 अर्थात् एक बीघा छः [illegible] किस्म गैर मुमकिन रास्ता [illegible] सृजित हुआ है तथा खसरा संख्या 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर किस्म [illegible] प्रार्थीगण [illegible] की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है खसरा नंबर 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर का सृजन पुराने ख[illegible] संख्या 30 व 9 से होना रेकर्ड अवलोकनुसार जाहिर है। मिलान क्षैत्रफल खसरा संख्या 42 गत खसरा नंबर 29 में से तथा खसरा संख्या 346 गत खसरा नंबर 30, 9 से सृजित हुए है। मौके की भौतिक स्थिति अनुसार भू–प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा तथा राजस्व रेकर्ड तहरीर किया है। अतः नियमानुसार प्रार्थी द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती हेतु धारा 136 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 04 व 7 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि पुराना रास्ता प्रथम सर्वे के वक्त जहा मौके पर रास्ता था आज भी उसी जगह मौके पर रास्ता चलता है। रास्ते के दोनों तरफ आजादी के पूर्व के बडे बडे वृक्ष आज भी मौके पर मौजूद है जो रास्ता नये खसरा नंबर 346 के पश्चिमी और उतरी लोर पर चलता है जो संपूर्ण भूमि एक चक है उसके बीच में मौके पर कभी रास्ता नहीं था न ही कभी रास्ते पर मौके पर आलामात रहे है व खसरा नंबर 346 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 गंगाराम पुत्र हरिराम अप्रार्थी संख्या 4 नरसीराम पुत्र हरिराम, अप्रार्थी संख्या 7 मफाराम पुत्र हरिराम के हिस्से में भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2, 4, 7 की ढाणीये बनी हुई है एवं कुंए एवं लाईट का कनेक्शन लिया हुआ है। प्रार्थीगण के हिस्से में नये खसरा नंबर 41 भूमि बंट में आई हुई है एवं मौके पर रास्ता प्रथम सर्वे के वक्त जहां चलता था उसी जगह आज भी चल रहा है एवं प्रार्थीगण के बंट में खसरा नंबर 41 की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण की ढाणीया व कुंए वगैरा बने हुए है। अतः जवाब शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम चौरा के पुराना खसरा नंबर 30 से नवसृजित खसरा नंबर 346 जो अप्रार्थी संख्या 2, 4, 7 की हिस्से की भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 7 के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार मौके पर रास्ता राजस्व रेकर्ड में चल रहा है जो रास्ता पुराने समय से चल रहा है जिसके दोनों ओर 100 साल पुराने वृक्ष खडे है एवं खसरा नंबर 346 एक ही चक में आई हुई भूमि जिसके बीचों बीच मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं न ही कभी रास्ता रहा है न ही उक्त भूमि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र झूठा, बेबुनियाद होने से खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 7 ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम चौरा के संख्या पुराना खसरा नंबर 30 से नवसृजित खसरा नंबर 346 में दर्ज रास्ता स्थान लिपिकीय भूल से किया गया है जो संलग्न नक्शे अनुसार एवं पुराने नक्शे में दर्ज रास्ते की भूमि अनुसार सीधी लाईन में टेडी मेडी आकृति के रूप में नए नक्शे में गलत दर्ज किया गया हे, जिसे सीधी लाईन में पुराने नक्शे अनुसार एवं प्रस्तुत नक्शे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती मौके पर उपयोग में आ रहीं उपयोग अनुसार दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा चौरा में से नवसृजित ग्राम चौरा ढ़ाणी का राजस्व रेकर्ड अवलोकन अनुसार खसरा संख्या 42 रकबा 0.10 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जो गत खसरा संख्या 29 रकबा 91/9 अर्थात् एक बीघा छः बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से सृजित हुआ है तथा खसरा संख्या 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम प्रार्थीगण खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है खसरा नंबर 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर का सृजन पुराने खसरा संख्या 30 व 9 से होना रेकर्ड अवलोकनुसार जाहिर है। मिलान क्षैत्रफल खसरा संख्या 42 गत खसरा नंबर 29 में से तथा खसरा संख्या 346 गत खसरा नंबर 30, 9 से सृजित हुए है। मौके की भौतिक स्थिति अनुसार भू–प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा तथा राजस्व रेकर्ड तहरीर किया है। अतः नियमानुसार प्रार्थी द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती हेतु धारा 136 अ[illegible] प्र[illegible] प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे। राजस्व रेकर्ड में कोई दुरूस्ती अपेक्षित नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल नक्शा परिशिष्ठ 'अ', नकल नक्शा पुरान[illegible]या तथा जवाब राज पैरोकार का गहनता से अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 42 रकबा 0.10 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जो खसरा संख्या 29 में से सृजित हुए है तथा खसरा संख्या 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 346 रकबा 3.96 हैक्टेयर कस सृजन पुराने

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.07 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 30 व 9 से हुआ है खसरा संख्या 346 गत खसरा संख्या 30, 9 से सृजित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पूर्णतया साबित नहीं होने तथा पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:05:38 IST
Reason: SelfAttested